अ0शा0 पत्र संख्याः चार–500 (निर्देश)–16

एच0सी0 अवस्थी आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांकः लखनऊ जून 02 ,2020

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि अधिवर्षता/पारिवारिक/ऐच्छिक/अनिवार्य पेंशन प्रकरण इस मुख्यालय को स्वीकृत हेतु प्रेषित किये जाते हैं । पेंशन प्रकरणों के मुख्यालय में परीक्षण के मध्य छोटी-छोटी कमियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिससे अनावश्यक रूप से पेंशन प्रकरण पुनः वापस करने पड़ते हैं । एक बार आपत्ति लग जाने पर पेंशन प्रकरण के निस्तारण में लगभग ०२ माह विलम्ब हो जाता है जैसे- सतर्कता अधिष्ठान से उ०नि०गोपनीय श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा का संशोधित भाग-५ बिना हस्ताक्षर तथा बिना भरे ही भेज दिया गया, पुलिस उपाधीक्षक श्री सुदेश कुमार, पुलिस अकादमी मुरादाबाद की चरित्रपंजिका में पत्नी का नाम एवं पेंशन प्रपत्र में अलग-अलग अंकित है । इसी प्रकार जनपद अमरोहा से रेडियो उ०नि० श्री सरदार मो० का भाग-३ में संयुक्त फोटो सत्यापित किये बिना प्रेषित किया गया है । यह ऐसी त्रुटियाँ हैं जो केवल सम्बन्धित पेंशन कर्मी को अपने प्रदत्त दायित्वों के प्रति उदासीनता दर्शाते हैं।

२- उक्त प्रस्तर में दिये गये उदाहरण के समान ही अन्य कमियाँ भी पुलिस मुख्यालय स्तर पर परीक्षण के मध्य लगातार पायी जा रही हैं, जिसके कारण लम्बे समय तक पेंशन प्रकरण लम्बित रहते हैं। प्रमुख कमियाँ निम्नवत् हैं :-

क- सेवा निवृत्त कर्मी का नाम पेंशन प्रपत्र तथा चरित्रपंजिका/सेवा पुस्तिका में अलग-अलग अंकित होना । पत्नी का नाम सेवा अभिलेख के अनुसार पेंशन प्रपत्रों में अंकित ना होना।

ख- पेंशन प्रकरण में अधिवर्षता/पारिवारिक/ऐच्छिक/अनिवार्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाना तथा सरकारी सेवक की जन्म तिथि पेंशन प्रपत्रों में सेवा अभिलेख से भिन्न अंकित होना।

ग- ऐच्छिक पेंशन प्रकरणों में ऐच्छिक पेंशन स्वीकृति का आदेश,मृत्यु की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र, अधिवर्षता की दशा में अनन्तिम पेंशन/ उपादान (90 प्रतिशत) का आदेश, अभियोग से सम्बन्धित प्रकरणों में दोषमुक्ति की सत्यापित प्रति एवं अपील की स्थिति बिना स्पष्ट किये एवं वाँछित अभिलेखों/आदेशों को संलग्न किये बिना पेंशन प्रकरण पुलिस मुख्यालय प्रेषित किया जाना।

घ- सेवा पुस्तिका/चरित्रपंजिका में सेवा सत्यापन,वेतन निर्धारण, उपार्जित अवकाश, तथा निलम्बन की दशा में निलम्बन काल का निस्तारण किया गया है अथवा नहीं को चैक किये बिना ही प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।

ड.- पेंशन प्रपत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही/अभियोजन/अभियोग/वसूली आदि लम्बित नहीं है, का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित नहीं किया जाना।

च- राजपत्रित अधिकारियों के पेंशन प्रपत्र के साथ विगत ०५ वर्षो का अदेयता प्रमाण पत्र तथा अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के कार्यालय से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित नहीं किया जाना।

छ- पेंशन प्रकरण वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से प्रेषित न किया जाना।

३- यह भी देखा गया है कि पुलिस मुख्यालय से जनपद/इकाई में सम्प्रेक्षा टोली सम्प्रेक्षा हेतु जाती है, उस समय निकट भविष्य में सेवा निवृत्त होने वालें कर्मियों के सेवा अभिलेख सम्प्रेक्षा से परीक्षण नही कराये जाते, जिससे सेवा निवृत्ति के उपरान्त वेतन विसंगति दृष्टिगोचर होती है जिनके निस्तारण में अत्यधिक समय तक पेंशन प्रकरण लम्बित रहता है।

उपरोक्त प्रस्तरों में इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरान्त ही पेंशन प्रकरण पुलिस मुख्यालय प्रेषित करने हेतु पेंशन लिपिक/पर्यवेक्षण अधिकारी को स्पष्ट निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें। यदि इसके उपरान्त भी पेंशन प्रकरणों में उक्त कमियाँ पायी जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित पेंशन लिपिक पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य नहीं कर रहा है अतः उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।

ससम्मान

भवदीय,

(एच०सी० अवस्थी) 3/6/20

श्री विक्रान्त वीर
पुलिस अधीक्षक
उन्नाव ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक जोन लखनऊ/पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र लखनऊ को अनुपानार्थ ।

Scanned by CamScanner

<u>सेवा निवृत्ति/मृत/ऐच्छिक पेंशन से सम्बन्धित विवरण</u>

कम संख्या	वर्ष	नई पेंशन की कुल पत्रावली	विवरण
1	2017	7157	पेंशन
2	2018	7870	पेंशन
3	2019	6395	पेंशन
4	2020 में दिनांक 24–06–2020 तक	2334	पेंशन
5	दिनांक 1–1–16 से 24–06–2020 तक रिवीजन सम्बन्धी पेंशन	60881	नये वेतनमान में निर्धारण होने पर पेंशन रिवीजन

अपर पुलिस अधीक्षक, मु0
उ0प्र0 पुलिस लखनऊ

Scanned by CamScanner